17

संख्या 102-A /XXX(2)/2014 30(5)2014

प्रेषक,

सी0एम0एस0 बिष्ट,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/ प्रभारी सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।
4. समस्त विभागाध्यक्ष एवं कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड।

कार्मिक अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांक 30 जून, 2014

विषयः– राज्याधीन सेवाओं में विकलांग व्यक्तियों के लिए निर्धारित प्रतिशत के अन्तर्गत स्वीकृत पदों के सापेक्ष आउटसोर्सिंग के माध्यम से किये जाने वाले सेवायोजन में क्षैतिज आरक्षण के प्राविधान लागू किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम 1993 एवं यथा संशोधित (यथा उत्तराखण्ड राज्य में प्रवृत्त) के प्राविधानों तथा कार्मिक अनुभाग–2 के शासनादेश सं0 1144/कार्मिक–2–2001–53(1)/2001 दिनांक 18 जुलाई, 2001 द्वारा राज्य सरकार के अधीन राज्याधीन सेवाओं, शिक्षण संस्थाओं तथा सार्वजनिक उद्यमों, निगमों एवं स्वायत्तशासी संस्थाओं में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित को 03 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण अनुमन्य किया गया है।

2– वर्तमान में विभिन्न विभागों के अन्तर्गत सीधी भर्ती के रिक्त पदों पर विभिन्न कारणों से समयान्तर्गत सेवा नियमावालियों में निहित प्राविधानों के अनुसार सीधी भर्ती की कार्यवाही सम्पन्न न होने अथवा मितव्ययता के दृष्टिगत विभिन्न सेवा प्रदाता संस्थाओं से आउटसोर्सिंग द्वारा सेवायोजन की कार्यवाही की जा रही है किन्तु आउटसोर्सिंग के द्वारा सेवायोजन में **विकलांग** श्रेणी के अभ्यर्थियों को ऐसे सेवायोजन में पर्याप्त अवसर एवं प्रतिनिधित्व सुलभ नहीं हो पा रहे हैं।

3– अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि राज्य सरकार के विभागों एवं राज्याधीन निगमों, परिषदों, स्वायत्तशासी संस्थाओं/शिक्षण संस्थाओं में यदि विभागीय ढ़ाँचे में पद स्वीकृत हैं, जिनके सापेक्ष नियमित चयन की कार्यवाही सम्भव है। किन्तु किन्हीं कारणों से नियमित चयन के स्थान पर आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्मिक/सेवाओं की व्यवस्था की जाती है अथवा यदि विभागीय ढ़ाँचे में स्वीकृत संवर्ग/पद "मृत संवर्ग" घोषित हो जाने के कारण उनके सापेक्ष नियमित चयन निषिद्ध है, किन्तु इस प्रकार रिक्त हो रहे पदों के सापेक्ष आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्मिकों/सेवाओं की व्यवस्था की जाती है, तो ऐसे प्रकरणों में सेवा प्रदाता संस्था द्वारा कार्मिकों को सेवायोजित करने हेतु निःशक्तजनों के लिए निर्धारित 3 प्रतिशत आरक्षण का भी पालन किया जायेगा।

4– उक्त के निमित्त प्रकिया यह अपनायी जायेगी कि विभाग विशेष द्वारा सेवा प्रदाता संस्था को मांग प्रेषित करने से पूर्व सम्बन्धित संवर्ग/पद के सापेक्ष क्षैतिज आरक्षण की विद्यमान स्थिति का आँकलन करते हुए विकलाँग कर्मियों की संख्या भी उनको अनुमन्य श्रेणी के लिए निर्धारित आरक्षण के अनुसार आँकलित की जायेगी और तद्नुसार ही चयनित बाह्य सेवा प्रदाता संस्था को माँग प्रेषित किया जायेगा, जिसके क्रम में बाह्य सेवा प्रदाता संस्था द्वारा श्रेणीवार इंगित संख्या में कार्मिकों की सेवायें सुलभ करायी जायेंगी।

5– अन्य प्रकरणों में जहाँ विभाग के संरचनात्मक ढ़ाँचे में पद सृजित नहीं है, किन्तु नियतकालिक आधार पर सेवाओं की व्यवस्था की जानी है अथवा कार्य को ठेके पर ही किये जाने की व्यवस्था है, उन मामलों में आरक्षण सम्बन्धी नियम लागू नहीं होंगे और ऐसी सेवाओं की अधिप्राप्ति हेतु "उत्तराखण्ड राज्य अधिप्राप्ति नियमावली 2008" के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

6– कृपया आउटसोर्सिंग के माध्यम से सेवायोजन के सम्बन्ध में उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सी0एम0एस0 बिष्ट)
सचिव।

संख्या (1)/XXX(2)/2014 30(5)2014 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. मुख्य स्थानिक आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
2. प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. महानिदेशक, सूचना विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तराखण्ड, हरिद्वार।
5. समस्त अनुभाग, उत्तराखण्ड सचिवालय।
6. राज्य सूचना अधिकारी, एन.आई.सी., सचिवालय परिसर, देहरादून।
7. प्रभारी, मीडिया सेन्टर, सचिवालय परिसर, देहरादून।

आज्ञा से,

(रमेश चन्द्र लोहनी)
अपर सचिव।